भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 2459

सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

पूंजीगत व्यय के लिए जारी विशेष सहायता

2459. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
श्री जनार्दन मिश्र
श्री जगदम्बिका पाल

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए जारी विशेष सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहें हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम के तहत जारी की गई विशेष सहायता (ऋण) का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता का उद्देश्य राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम संबंधी योजना के दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कीम के भाग-। (शर्त रहित) के तहत दूसरी किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्येक राज्य के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य निर्धारित करने की व्यवस्था है।

******

18 दिसंबर, 2023 को दिए जाने वाले उत्तर के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 2459 के उत्तर में सन्दर्भित अनुबंध

पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम के तहत जारी विशेष सहायता (ऋण)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (13.12.2023 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश *	688.00	501.79	6105.56	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	232.97	371.19	1564.10	992.49
3	असम	450.00	600.00	4300.14	2841.21
4	बिहार	843.00	1246.50	8455.85	6135.54
5	छत्तीसगढ	286.00	423.00	2941.97	2044.78
6	गोवा	97.66	111.04	572.75	332.35
7	गुजरात	285.00	432.00	4045.82	2336.62
8	हरियाणा	91.00	135.00	1267.00	756.75
9	हिमाचल प्रदेश	533.00	800.00	650.80	644.36
10	झारखंड	277.00	246.00	2964.32	1693.19
11	कर्नाटक	305.00	451.50	3399.35	2538.04
12	केरल*	81.50	238.50	1902.74	0.00
13	मध्य प्रदेश	1320.00	1512.36	7360.20	5325.60
14	महाराष्ट्र	514.00	771.73	6744.16	3457.61
15	मणिपुर*	317.16	212.85	467.22	0.00
16	मेघालय	200.00	281.20	1049.02	555.43
17	मिजोरम	200.00	299.99	297.50	487.55
18	नगालैंड	200.00	300.00	504.16	462.30
19	ओडिशा	471.50	517.12	75.00	3039.77
20	पंजाब*	296.50	223.50	798.22	0.00
21	राजस्थान	1002.00	692.41	5595.64	3987.91
22	सिक्किम	200.00	300.00	551.36	271.66
23	तमिलनाडु	0.00	505.50	4011.27	2643.65
24	तेलंगाना	358.00	214.14	2500.98	1241.84
25	त्रिपुरा	300.00	118.54	349.79	258.77
26	उत्तर प्रदेश	976.00	1483.00	7940.50	12458.43
27	उत्तराखंड	675.00	263.92	1124.01	785.78
28	पश्चिम बंगाल	630.00	933.00	3655.92	5015.58
कुल		**11830.29**	**14185.78**	**81195.35**	**60307.19**

*: राज्य ने स्कीम 2023-24 के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया है।

*****